Indian J. Soc. & Pol. 06 (02):95-98 : 2019 **ISSN: 2348-0084(P)**
ISSN: 2455-2127(O)

उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में राजनीतिक सहभागिता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रमिला यादव[1]
[1]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान, भारत

ABSTRACT

भारत में संविधान द्वारा लोकतन्त्र, लोककल्याणकारी तथा समानता एवं न्याय पर आधारित राज्य एवं शासन की स्थापना की गई है। इसमें जनता की जागरूकता एवं जन सहभागिता आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती हैं। भारतीय लोकतंत्र को संघीय स्तर से प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तर तक प्रसारित किया गया है। भारत में स्थानीय शासन दो भागों में विभक्त है– ग्रामीण स्थानीय शासन एंव नगरीय स्थानीय शासन। बढ़ते औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार, विज्ञान एवं तकनीकी प्रसार से न केवल नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। वरन् नगरीकरण ने नगरीय समस्याओं एवं चुनौतियों को भी बढ़ा दिया है। इस कारण नगरीय शासन एवं प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व भी बढ़ गया है। इसी सन्दर्भ मे प्रस्तुत शोध पत्र उत्तर प्रदेश में नगरीय शासन पर केन्द्रित है।

KEYWORDS: *लोंकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन, राजनीतिक सहभागिता*

भारत में नगरीय स्थानीय शासन की जड़ें बहुत पुरानी है। नगर एंव नगर प्रशासन यहाँ सभ्यता के आरम्भिक दौर–सिन्धु घाटी सभ्यता के समय से ही प्रचलित रहें है। किन्तु वर्तमान नगरीय स्थानीय स्वशासन का विकास 19वीं शताब्दी से आंरम्भ होकर 1992–93 में 74 वें संविधान संशोधन के उपरान्त हुआ है। 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया। 1992 में संसद द्वारा पारित 74वाँ संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय शासन को सुगठित एवं सुव्यवस्थित बनाकर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश में नगरीय स्थानीय शासन

74वें संविधान संशोधन के पारित होते समय उत्तरप्रदेश में नगरीय स्थानीय शासन की संरचना उत्तरप्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959, संयुक्त प्रांत म्यूनिसपेलिटी अधिनियम 1916, संयुक्त प्रांत टाउन एरियाज अधिनियम 1914 विधियों पर आधारित थी। 74वें संविधान संशोधन के उपरांत नगर स्वायत्त शासन अधिनियम, 1994, 1959 तथा 1916 के अधिनियमों को संशोधित किया गया तथा 1914 के नगर क्षेत्र अधिनियम को समाप्त कर दिया क्योंकि 74वाँ संशोधन इस प्रकार के निकायों की व्यवस्था नहीं करता हैं।

नगर निकायों की संरचना

नगर निकाय अधिनियम 1994 के अनुसार नगर स्थानीय संस्था की शासकीय परिषदों में तीन प्रकार के सदस्य होंगे – 1. निर्वाचित, 2. मनोनीत तथा 3. पदेन।

1. निर्वाचित सदस्य – ये वे सदस्य हैं जो कि उस निकाय के क्षेत्र से जनता द्वारा चुने जायेंगे, इसके लिए इस क्षेत्र को निर्वाचित वार्डो में विभाजित किया गया है। नगरनिकायों निर्वाचित सदस्य नगर निगम में 60 से 110 तक, नगर पालिका परिषद में 25 से 55 तक तथा नगर पंचायत में 10 से 24 तक हो सकते है।

2. मनोनीत सदस्य – शहरी स्थानीय संस्थाओं में उन व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया है, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव हो। मनोनीत सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नगरनिकायों मनोनीत सदस्य नगर निगम में 5 से 10 तक, नगर पालिका परिषद में 3 से 5 तक तथा नगर पंचायत में 2 से 3 तक हो सकते है।

3. पदेन सदस्य – ये संसद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधायिका से निम्नांकित विधि द्वारा लिए जायेंगे –(a) लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य उस निकाय में जिसका सम्पूर्ण अथवा कोई भाग, उनके निर्वाचन क्षेत्र में आता हो। (b) राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य, उन नगरीय स्थानीय निकायों में, जिनके क्षेत्रों में वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शासकीय परिषदों में उन वार्डो की समितियों अथवा अन्य समितियों के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे, जिनका गठन उस निकाय में किया जाए, यदि ये सदस्य पूर्व से ही अपने निकाय की शासकीय परिषद में नहीं है।

- **स्थानों का आरक्षण –** प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों (उ०प्र० अधिनियम सं, 26, सन् 1995 द्वारा (30/05/1994 से) अन्तःस्थापित) के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के उसी अनुपात में होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे।

1: Corresponding Author

प्रत्येक निगम में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का 27 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किया जायेगा और ऐसे स्थान किसी नगरीय निकाय में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम में ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आंवटित किये जा सकेंगे। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियो (वही) के लिये आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा, ऐसे क्रम में जैसे नियमों द्वारा विहित किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे। राज्य में नगर निगम के महापौर (वही) के पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति में आरक्षित किये जायेंगे।

- **कार्यकाल** – संविधान संषोधन अधिनियम के माध्यम से निगम का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तिथि से, यदि वे निर्धारित समय से पूर्व भंग नहीं कर दी जाती है, तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और इससे अधिक नहीं। नगरीय निकायों के चुनाव उनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्पन्न कराए जायेंगे और यदि किसी नगर निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की धारा–538 के अधीन उसके विघटन के आदेश की तिथि से 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराए जाने होंगे।

पीठासीन अधिकारी : महापौर एवं उपमहापौर

I. महापौर

प्रत्येक नगर निगम में एक महापौर होता है, जिसका निर्वाचन नगर निगम के क्षेत्र से पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा नगर निगम के कार्यकाल के समान 5 वर्ष के लिए किया जायेगा। वह नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है। धारा–16 में यथा उपबंधित के सिवाय अपने पद से हटने वाला महापौर पुनः निर्वाचन के लिये पात्र होगा। यदि किसी सामान्य निर्वाचन के लिये पात्र होगा। यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों रूप में या किसी उप चुनाव में पार्षद के रूप में होने पर महापौर निर्वाचित होता है तो वह महापौर के रूप में अपने निर्वाचन के दिनांक से पार्षद नहीं रह जाएगा।(उ०प्र० अधिनियम सं. 16 सन् 2004 धारा (21.11.2002 से) प्रतिस्थापित)

II. उप महापौर

वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित निगम परिषद् के सदस्यों में से ही उपमहापौर का परिषद् के लिए निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन करती है। महापौर/मेयर की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति में उसके सभी अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग उप महापौर द्वारा किया जाता है। उप महापौर एक वर्ष के लिए निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

मेयर/महापौर पद के लिए अर्हतायें (उ०प्र० अधिनियम सं. 16 सन् 2004 धारा (21.11.2002 से) प्रतिस्थापित**)** – कोई भी व्यक्ति निगम का महापौर चुने जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह – 1. संबंधित नगर में निर्वाचक नहीं है। 2. पद पर निर्वाचित किये जाने के लिये उम्मीदवार के रूप में अपने नाम निर्देशन के दिनांक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। 3. वह व्यक्ति राज्य या स्थानीय संस्था की नौकरी में न हो अथवा कदाचार के आरोप में नौकरी से निकाला न गया हो। 4. वह फौजदारी अदालत से एक वर्ष से अधिक सजा पाया न हो।

- **पार्षद या नगर निगम सदस्य**

योग्यता – एक व्यक्ति नगर निगम के लिए चुनाव लड़ सकता है यदि वह निम्न योग्यता रखता है –1 उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. व्यक्ति 21 वर्ष का हो गया हो। 3. उसका नाम वार्ड की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत हो। 4. नगर निगम के चुनाव को लड़ने के लिए उसे पहले उसे कभी अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। 5. वह भारत में किसी भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। 6. निगम में कुछ दशा में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। नगरीय अधिनियम की धारा 25 में निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है।

- **गोपनीयता की शपथ एवं अवधि एवं पदच्युति** – उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 85 के तहत किसी पद पर आसीन होने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी जो विहित किया जाये के समक्ष महापौर और पार्षद निहित रूप से शपथ लेगा। यदि महापौर उपधारा के अधीन शपथ ग्रहण नहीं करता तो ऐसा समझा जाता है कि यथास्थिति महापौर ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है।

परन्तु यथास्थिति महापौर संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय यथास्थिति निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट होने की दिनांक से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयमेव रिक्त समझा जायेगा। महापौर और सदस्यों की समयावधि 5 वर्ष होती है जिसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है। महापौर राज्य सरकार को लिखित में अपना त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। ऐसा करने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा।

- **विघटन** – उत्तर प्रदेश में किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय को राज्य सरकार द्वारा विघटित किया जा सकता है, यदि उसका स्पष्टीकरण माँगने के पश्चात् राज्य सरकार संतुष्ट है कि वह स्थानीय निकाय – 1. 1994 के उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम में निर्धारित अपने दायित्वों का निरन्तर अनुपालन नहीं कर रहा है। 2. अपने निर्धारित अधिकारों से अधिक का प्रयोग अथवा उसका दुरुपयोग कर रहा है। इस प्रकार 74वें संशोधन का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश में यह प्रावधान कर दिया गया है कि भंग करने से पूर्व स्थानीय निकाय को राज्य सरकार के सम्मुख अपनी बात कहने का अधिकार है।

उत्तरप्रदेश में नगरीय स्थानीय शासन में राजनीतिक सहाभागिता

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त उत्तर प्रदेश में 1995 में प्रथम बार नगर निकायों के चुनाव सम्पन्न हुए। इसके पश्चात् 2000, 2006, 2012, 2017 में भी चुनाव हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के राजनीतिक सहभागिता का आंकलन करने के लिए निकायों की संख्या, उनके चुनाव में

मतदाता के रूप में मतदान, उम्मीदवार के रूप में भागीदारी तथा प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी के आधार पर विश्लेषण किया गया है। अतः नगर निकायों में कुल निर्वाचित सदस्य संख्या इस प्रकार है –

सारणी –1

उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की संख्या

नगर निकाय	पद	1995	2000	2006	2012	2017
नगर निगम	महापौर	11	11	12	12	16
	पार्षद	830	830	980	980	1300
नगर पालिका	अध्यक्ष	197	193	191	194	198
	सदस्य	5011	4909	5075	5097	5261
नगर पंचायत	अध्यक्ष	419	416	418	423	438
	सदस्य	4824	4777	5139	5158	5434
योग		**11292**	**11136**	**11818**	**11864**	**12647**

स्रोत : sec.up.nic.in/site/electionalysis.aspx.pccessed.3.10.18

इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में 1995 में नगर निगमों के महापौर के पदों की संख्या 11 थी जो 2012 में 12 तथा वर्तमान 2017 में 16 हो गई है। 1995 में पार्षद प्रतिनिधियों की संख्या – 830 थी जो 2012 में 980 तथा वर्तमान 2017 में बढ़कर 1300 हो गई है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद् में 1995 में अध्यक्ष पदों की संख्या 197 थी जो 2012 में 194 तथा वर्तमान में बढ़कर 198 हो गई है। 1995 में प्रतिनिधियों की संख्या 5011 थी जो 2012 में 5097 तथा वर्तमान 2017 में बढ़कर 5261 हो गई है। नगर पंचायत में 1995 में पदों की संख्या 419 थी जो 2012 में 423 तथा वर्तमान 2017 में 438 हो गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या 1995 में 4824 तथा 2012 में 5158 तथा 2017 में 5434 हो गई है। इस प्रकार 1995–2017 तक उत्तरप्रदेश नगरीय निकाय के पदों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें उत्तरप्रदेश में नगरीय निकायों में प्रतिनिधियों की संख्या में अभिवृद्धि तथा भारतीय लोकतंत्र एवं नगरीकरण एवं राजनीति में बढ़ती सहभागिता स्पष्ट होती है।

सारणी – 2

उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के निर्वाचनों में मतदान में सहभागिता

पद	वर्ष	कुल पद संख्या	कुल मतदाता	वैध मतों की संख्या
नगर निगम	2006	12	9957573	9501830
	2012	12	13287060	3302561
	2017	16	15517240	9021157
नगर पालिका परिषद्	2006	191	10346791	6209699
	2012	194	12452943	4665998
	2017	198	12334964	5930887
नगर पंचायत	2006	418	4490476	3167067
	2012[1]	423	55159717	2619092
	2017[2]	439	5743343	1499146

स्रोत sec.up.nic.in/sitc/e-result.aspx9.10.2018,
ec.up.nic.in/elelive/new/winnerlist.aspx9.10.2018

इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरप्रदेश नगर निगम व नगर पंचायत 2006, 2012, 2017 में मतदाताओं की संख्या में क्रमशः वृद्धि हुई है। वहीं नगरपालिका परिषद् के चुनाव में 2012, 2017 से भी अधिक में रहे हैं तथा नगर पंचायत चुनाव में 2017 में सर्वाधिक रहे हैं।

सारणी – 3

उत्तरप्रदेश में नगर निकायों में प्रतिनिधि के रुप में सहभागिता

पद का नाम	वर्ष	महिला	पुरुष	कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या
महापौर	2006	5	7	12
नगर	2012	5	7	12
निगम	2017	7	9	16
पार्षद नगर निगम	2006	357	622	979
	2012	361	620	980
	2017	489	811	1300
अध्यक्ष नगर	2006	73	118	191
पालिका परिषद	2012	82	112	194
	2017	88	110	198
सदस्य नगर	2006	1941	3132	5073
पालिका परिषद	2012	1983	3112	5095
	2017	2010	3251	5261
अध्यक्ष नगर	2006	168	250	418
पंचायत	2012	190	233	423
	2017	204	234	438
सदस्य नगर	2006	1994	3108	5102
पंचायत	2012	2046	3112	5158
	2017	2130	3308	5438

स्रोत : sec.up.nic.in/site/electionalysis.aspx

सारणी – 4

उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में दलीय आधार पर सहभागिता

पद का नाम	वर्ष	कुल मान्यता प्राप्त दल	कुल अमान्यता प्राप्त दल	अन्य पंजीकृत दल	निर्दलीय	कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या
महापौर	2006	12	–	–	–	12
नगर	2012	10			2	12
निगम	2017	16	–	–	–	16
पार्षद	2006	717	2	1	259	979
नगर	2012	1799	2	9	558	980
निगम	2017	1076	–	–	224	1300
अध्यक्ष	2006	121	–	–	70	191
नगर	2012	60	4		130	194
पालिका परिषद	2017	154	–	–	43	197
सदस्य	2006	1671	10	3	3392	5073
नगर	2012	731	5	36	4323	5095
पालिका परिषद	2017	1866	8	7	3380	5261
अध्यक्ष	2006	199	–	–	219	418
नगर	2012	64		7	352	423
पंचायत	2017	254	2	–	182	438
सदस्य	2006	1519	15	3	3568	5105
नगर	2012	388	1	35	4734	5158
पंचायत	2017	1542	7	9	3876	5434

स्रोत : 1- sec.up.nic.in/site/electionalysis.aspx9.10.2018,
2.sec.up.nic.in/elelive/new/winnerlist.aspx9.10.2018

वहीं वैध मतदान में भी नगर निकायों के नगर निगम एवं नगरपालिका का चुनाव में सर्वाधिक 2006, 2017 में रही। वहीं नगर पंचायत के चुनाव में क्रमशः 2006, 2012, 2017 रही। अतः इस प्रकार देखा जाता है कि मतदान राजनीतिक सहभागिता की महत्वपूर्ण आयाम है जिससे व्यक्ति की राजनीति में क्रमशः बढ़ती सहभागिता देखी जा सकती है।

इससे स्पष्ट होता है कि नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार मान्यता प्राप्त दलों से ही सर्वाधिक खड़े होते हैं किन्तु सभी स्तरों पर सदस्य के रुप में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक होती है।

नगर पालिका अध्यक्ष में सर्वाधिक आयु वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या 36 से 50 वर्ष आयु वर्ग की पाई गयी, वहीं सबसे कम 21 से 35 वर्ष आयुवर्ग में रही। पालिका सदस्य प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या 2006, 2012 में 21 से 35 वर्ष तथा 2017 में 36 से 50 आयु वर्ग में रही एवं सबसे कम 50 से ऊपर आयु वर्ग के प्रतिनिधियों की रही। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या 36 से 50 आयु वर्ग में पाई गयी, वही सबसे कम 2006 में 50 से ऊपर तथा 2012, 2017 में 21 से 35 आयु वर्ग के रहे। नगर पंचायत सदस्य प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या 2006 एवं 2012 में 21 से 35 आयु वर्ग तथा 2017 में 36 से 50 आयु वर्ग की रही और सबसे कम 50 से ऊपर आयु वर्ग के प्रतिनिधियों की रही।

नगरीय निकाय निर्वाचनों में 36 से 50 आयु वर्ग के प्रतिनिधियों की राजनीति में सहभागिता अधिक देखी गई। वहीं 50 से ऊपर आयु वर्ग के प्रतिनिधियों की सबसे कम राजनीति में सहभागिता देखने को मिली एवं 21 से 35 आयु वर्ग के प्रतिनिधियों की राजनीति में सहभागिता मध्यम संख्या में रही।

इससे स्पष्ट होता है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में शैक्षिक आधार पर प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता स्नातक व हाईस्कूल स्तर पर अधिक होती है। नगर पालिका परिषद् तथा नगरपंचायत निर्वाचन में शैक्षिक स्तर पर 5वीं कक्षा तक इंटरमीडिएट व स्नातक स्तर पर प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता अधिक होती है। अर्थात् शिक्षित वर्ग की सहभागिता में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

निष्कर्षतः स्पष्ट होता है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को प्रदत्त सुदृढ़ता एवं सशक्तता के बाद इसका विकास निरन्तर होता रहा है। द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में मतदाता तथा प्रतिनिधियों के रूप में सहभागिता में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

सारणी – 5

उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के प्रतिनिधियों की आयु वर्ग के आधार पर सहभागिता

पद का नाम	सन्	आयु वर्ग			कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या
		21 से 35 वर्ष	36 से 50 वर्ष	50 से ऊपर	
महापौर,	2006	1	5	6	12
नगर निगम	2012	–	9	3	12
	2017	1	6	9	16
सदस्य, नगर	2006	476	424	79	979
निगम	2012	358	494	128	980
	2017	356	698	245	1300
अध्यक्ष, नगर	2006	44	110	37	191
पालिका	2012	26	116	52	194
परिषद	2017	29	111	58	198
सदस्य, नगर	2006	2430	2105	538	5073
पालिका	2012	2278	2245	574	5095
परिषद	2017	2112	2671	478	5261
अध्यक्ष, नगर	2006	99	230	89	418
पंचायत	2012	80	237	106	423
सदस्य	2017	52	289	97	438
सदस्य, नगर	2006	2580	1981	541	5102
पंचायत	2012	2447	2089	622	5158
सदस्य	2017	1798	3097	540	5434

स्रोत : 1. sec.up.nic.in/site/electionalysis.aspx9.10.2018

2. sec.up.

शिक्षा के आधार पर नगर निकायों में शिक्षित वर्ग की भूमिका निरन्तर अग्रसर हो रही है। आयुवर्ग के आधार पर वृद्ध या अधिक आयु वर्ग की तुलना में युवा व मध्यम वर्ग की भूमिका को बढ़ावा मिल रहा है। जिनसे युवाओं की स्थानीय राजनीति में सक्रियता एवं सहभागिता उजागर होती है जो भारतीय लोकतन्त्र की दिशा में शुभ संकेत है।

संदर्भ

शर्मा, अशोक (1999) *भारत में स्थानीय प्रशासनः* जयपुर, आर.बी.एस. ए. पब्लिशर्स

सावले, द्वारका प्रसाद (2006) *लोकप्रशासन* नई दिल्ली : अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रब्यूटर्स

Sec.up.nic.in/sitc/electionalysis.aspx